



फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ साउथ एशिया (FEMBoSA)

प्रलिस के लिये

FEMBoSA की 11वीं वार्षिक बैठक, भारत नरिवाचन आयोग, कोवडि-19, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन

मेन्स के लिये

FEMBoSA का संक्षिप्त परिचय एवं इसके उद्देश्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारत नरिवाचन आयोग](#) ने वर्ष 2021 के लिये फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ साउथ एशिया (FEMBoSA) की 11वीं वार्षिक बैठक का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

बैठक के बारे में :

- **आयोजन** : बैठक की मेज़बानी **भूटान के चुनाव आयोग** द्वारा वर्चुअल मोड में की गई थी।
 - **बैठक में शामिल राष्ट्र** : भारत सहित अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल ने इस बैठक में भाग लिया।
- **अध्यक्षता** : भारत के चुनाव आयोग ने 2021-22 के लिये **भूटान के चुनाव आयोग** को फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ साउथ एशिया (FEMBoSA) की ज़िम्मेदारी सौंपी।
 - भारत का चुनाव आयोग इस फोरम का वर्तमान अध्यक्ष है।
- **थमिपू संकल्प** : वर्तमान महामारी की स्थिति के दौरान अध्यक्ष के कार्यकाल को दो साल तक बढ़ाने के लिये FEMBoSA सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया गया था।
 - इससे पूर्व अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष का था।
- **बैठक का विषय (थीम)** : 'चुनावों में प्रौद्योगिकी का उपयोग'।
- **चुनाव का डिजिटलीकरण** : उन्नत तकनीकी का चुनाव प्रबंधन पर अधिक प्रभाव पड़ता है।
 - चुनावों को अधिक **सहभागी, सुलभ और पारदर्शी** बनाने के लिये प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
 - यह **कोवडि-19** महामारी के दौरान और अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यह एक-दूसरे व्यक्तियों के संपर्क को कम करने में मदद कर रहा है।

FEMBoSA के बारे में :

- **स्थापना** :
 - फोरम की स्थापना वर्ष 2012 में **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC)** देशों के चुनाव प्रबंधन नकियाँ (EMB) के **प्रमुखों के तीसरे सम्मेलन** में की गई थी।
 - **सारक में आठ सदस्य देश शामिल हैं**: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।
- **लक्ष्य** :
 - फोरम का लक्ष्य सारक के चुनाव प्रबंधन नकियाँ (EMB) के सामान्य हितों के संबंध में आपसी सहयोग को बढ़ाना है।
- **उद्देश्य** :
 - सारक देशों के चुनाव प्रबंधन नकियाँ के बीच संपर्क को बढ़ावा देना।
 - एक-दूसरे से सीखने की दृष्टि से अनुभव साझा करना।
 - स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की दशा में चुनाव प्रबंधन नकियाँ की क्षमताओं को बढ़ाने में एक-दूसरे का सहयोग करना।
- **महत्त्व** :

- FEMBoSA लोकतांत्रिक विश्व के एक बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और यह चुनाव प्रबंधन निकायों का एक सक्रिय क्षेत्रीय सहयोग संघ है।
- सुनहरे मोतियों वाला इसका लोगो पारदर्शिता, निष्पक्षता, लोकतंत्र और सहयोग के शाश्वत मूल्यों का प्रतीक है।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

- ECI भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिये ज़िम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है।
- यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है।
- निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी।

संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान का भाग XV चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिये एक आयोग की स्थापना करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित हैं।
 - अनुच्छेद 324 चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिये चुनाव आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

संरचना:

- मूल रूप से आयोग में केवल एक निर्वाचन आयुक्त था लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहु-सदस्यीय निकाय बना दिया गया है।
- आयोग में वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और दो निर्वाचन आयुक्त (EC) हैं।
- निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है।

स्रोत: पीआईबी